न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा(टोक)

(श्री सन्तोष कुमार मीना आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र– 51/2018
निर्णय दिनांक– 14.08..2019

1.सीताराम पुत्र रामनाथ जाति माली निवासी अमीरगंज तहसील उनियारा जिला टोक

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोक (राज0)

प्रतिपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– 1.श्री आर0के0सैनी वकील प्रार्थीगण
2.पेरोकार सरकार तहसीलदार उनियारा

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0न0 103, 104, 117, 125, 139, 140, 142, 143, 18, 19, 27, 28/178, 30, 44, 45, 60 कुल किता 16 कुल रकबा 5.27 है0 वाके ग्राम अमीरगंज पटवार हल्का मोहम्म्दपुरा तहसील उनियारा मे स्थित है। प्रार्थी I सही नाम सीताराम है तथा बचपन मे माता पिता लाड प्यार से पप्पू भी कहते थे, लेकिन राजस्व रेकार्ड मे बिना जानकारी किये राजस्व कर्मचारियों से सहवन से प्रार्थी का नाम सीताराम नही लिखकर पप्पू पुत्र रामनाथ लिख दिया गया, जो कि गलत अंकित कर दिया है। मतदाता सूची, पहचान पत्र , आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा अन्य दस्तोवजों मे प्रार्थी का नाम सीताराम पुत्र रामनाथ माली ही दर्ज है।

यह कि प्रार्थीगण की अधियाचना है कि राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी मे प्रार्थी का नाम पप्पू पुत्र रामनाथ के स्थान पर सीताराम पुत्र रामनाथ माली अंकित करवाते हुये राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश प्रदान करे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

तहसीलदार उनियारा ने जवाब प्रस्तुत कर बताया कि राजस्व रेकार्ड मे पप्पू पुत्र रामनाथ के स्थान पर सीताराम पुत्र रामनाथ किया जाना उचित है।

Scanned by CamScanner

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 खाता संख्या 14 आराजी ख0न0 103, 104, 117, 125, 139, 140, 142, 143, 18, 19, 27, 28/178, 30, 44,45, 60 कुल किता 16 कुल रकबा 5.27 है0 वाके ग्राम अमीरगंज मे पप्पू पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/24 जाति माली सा0 देह दर्ज है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड व मतदाता पहचान पत्र मे सीताराम पुत्र रामनाथ अंकित है। तहसीलदार उनियारा ने भी जवाब प्रस्तुत कर बताया है कि राजस्व रकार्ड मे दर्ज पप्पू पुत्र रामनाथ के स्थान पर सीताराम पुत्र रामनाथ किये जाने मे कोई आपत्ति नही है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेशित किया जाता है कि वह खाता संख्या 14 आराजी ख0न0 103, 104, 117, 125, 139, 140, 142, 143, 18, 19, 27, 28/178, 30, 44,45, 60 कुल किता 16 कुल रकबा 5.27 है0 वाके ग्राम अमीरगंज मे दर्ज पप्पू पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/24 जाति माली सा0 देह के स्थान पर सीताराम पुत्र रामनाथ हिस्सा 1/24 जाति माली सा0 देह दर्ज कर राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner